छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 106] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 अप्रैल 2002 - बैशाख 6, शक 1924

समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन

रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2002

अधिसूचना

क्रमांक 1403/616/21-ए/वेट/2001—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :-

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000 है.

   (2) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियाँ जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द ''मध्यप्रदेश'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द ''छत्तीसगढ़'' स्थापित किए जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक	विधियों के नाम
1.	मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1973.
2.	निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) नियम, 1997.
3.	मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी.एल. अग्रवाल, विशेष सचिव

रायपुर दिनांक 18 अप्रैल 2002

क्रमांक 1404/616/21-ए/वेट/2001—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1973, निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) नियम, 1997, मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहाय्रता अधिनियम, 1970 का अनुकूलन आदेश, 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एल. अग्रवाल, विशेष सचिव

Raipur the 18th April 2002

NOTIFICATION

No. 1403/616/21-A/Vett./2001.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following orders, namely :-

ORDER

1. (1) This order may be called the adaptation Order, 2000.

   (2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh are hereby extended and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification and in the laws for the words"Madhay Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Any thing done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rules, form, regulation, certificate or license) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be inforce in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S.No.	Name of the laws
1.	The Madhya Pradesh Bhiksha Vritti Nivaran Adhiniyam, 1973.
2.	The persons with disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and full participation) Rules, 1997.
3.	The Madhya Pradesh Nirashriton Avam Nirdhan Vyaktiyon Ki Sahayata Adhiniyam, 1970.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. L. Agrawal, Special Secretary.

नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय में मुद्रित तथा प्रकाशित–2002